हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.09.2023 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 13.09.2023 को प्रातः11:00 कमरा नम्बर 214, द्वितीय तल राजीव गॉधी विद्या भवन, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन,शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में वित्त समिति के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	प्रो.सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति
2	श्री सुमेर सिंह	कोषाधिकारी जयपुर (शहर) प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, नामनिर्देशित वित्त विभाग एवं सदस्य, वित्त समिति, एचजेयू,जयपुर
3	श्रीमती अल्का सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक, डीआईपीआर, (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, वित्त समिति, एचजेयू, जयपुर
4	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, वित्त समिति, एचजेयू,जयपुर
5	श्री प्रहलाद मीना	लेखाधिकारी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) द्वारा नामनिर्देशित
6	डॉ. सत्येन्द्र बसवाल	वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव

बैठक का आंरभ कुलपति प्रो.सुधि राजीव के द्वारा सभी सदस्यों के अभिवादन एवं स्वागत से किया गया। तदुपरान्त समिति के सदस्यों ने नवीन कुलसचिव श्री अजय कुमार आर्य का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। समिति के सदस्यों ने विशेष आंमत्रित सदस्य श्री अजय कमार आर्य, कुलसचिव एचजेयू, एवं श्री आलोक, श्रीवास्त परीक्षा नियंत्रक,एचजेयू, जयपुर की उपस्थिति का संज्ञान लिया।

तत्पश्चात विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 30 में उल्लेखित वित्त समिति के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों/संकल्पों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी
6–1	**वित्त समिति की पंचम् बैठक दिनांक 09.11.2022 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक पंचम् बैठक दिनांक 09.11.2022 की अनुपालना रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्त समिति की पंचम बैठक के निर्णयो की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
6–2	**विश्वविद्यालय के वर्ष 2022–23 के प्रमाणित वार्षिक लेखों का अनुमोदन :–** विश्वविद्यालय के वर्ष 2022–23 के वार्षिक लेखे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कौशिक सारस्वत जैन एंड कम्पनी द्वारा प्रमाणित किये गये। प्रमाणित लेखे परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2022–23 के सीए प्रमाणित लेखों का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(राशि लाखों मे)

क्र. सं.	मद	दिनांक 01.04. 2022 को प्रारम्भिक राशि	प्राप्त राशि वर्ष 2022–23	कुल प्रावधान राशि वर्ष 2022–23 (3+4)	2022–23 में व्यय राशि	31.03. 2022 को अंतिम शेष राशि (5–6)	शिड्यूल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	संवेतन व गैर संवेतन	142.50	807.65	950.15	744.71	205. 44	8–12 और 20
4.	पूंजीगत	122.64	7000. 00	7122. 64	7000. 00	122. 64	23B
	कुल योग	265.14	7807. 65	8072. 79	7744. 71	328. 08	

वर्ष 2022–23 में (तक) विभिन्न स्त्रोतों से विश्वविद्यालय की आय निम्नानुसार हैः– इस लाइन में " में " की

क्र. सं.	मद	विवरण / शिड्यूल नम्बर	राशि
1.	Fee/ subscription	3	3047400.00
2.	Interast in Current Bank A/C	6	643828.00
3.	Other income (tendar fees/ Sale Of Old News Paper, Recruitment fees)	7	2250.00
	कुल योग		3693478.00

संवेतन/गैर संवेतन मद अन्तर्गत कुल व्यय राशि रू 744.71 लाख में से राशि रू 737.79 लाख विश्वविद्यालय के कार्मिकों को वेतन व विश्वविद्यालय के संचालन व्यय (Schedule 8 to 12 पर अवलोकनीय) तथा राशि रू 6.92 लाख नवीन मद एवं देयेताओं पर व्यय (स्थायी सम्पत्ति सृजन New items on schedule-13 पर एवं Liabilties on schedule- 19 पर अवलोकनीय) किये गये हैं।

विश्वविद्यालय के Balance Sheet (Statement Of Affairs) 2022–23 के अनुसार विश्वविद्यालय की Fixed Assests राशि रु. 7436334/– (शिड्यूल 20 पर अवलोकनीय) एवं Current Assests (शिड्यूल 23A पर अवलोकनीय) के अनुसार राशि रु. 60140176.12/– है।

विश्वविद्यालय के प्रमाणित वार्षिक लेखे वर्ष 2022–23 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

(Right column:) जगह " तक " पढ़ा जाए।

6–3	**विश्वविद्यालय के चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक अनुमान :–** वित्त (व्यय–1) विभाग द्वारा आयोजित बजट निर्णायक समिति	विश्वविद्यालय के चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक

की बैठक दिनांक 05.12.2022 में प्रस्तुत संशोधित बजट 2022–23 एवं आय–व्ययक बजट 2023–24 के विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व निर्णायक समिति में सहमत प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाखों में)

बजट मद	स्वीकृत प्रावधान वर्ष 2022–23	संशोधित अनुमान 2022–23		आय–व्ययक अनुमान 2023–24	
		विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	**BFC** में सहमति	विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	**BFC** में सहमति
2202–03–102–14(12) गैर संवेतन	420.00	999.36	420.00	1441.60	400.00
2202–03–102–14(92) संवेतन	380.00	384.32	380.00	421.96	400.00
4202–01–203–09–01–(17)वृहद निर्माण कार्य (पूंजीगत)	7000.00	4008.00	7000.00	3484.00	2900.00
कुल योग	7800.00	5391.68	7800.00	5347.56	3700.00

गैर संवेतन मद अन्तर्गत विश्वविद्यालय के दिन–प्रतिदिन के नियमित खर्चों के अलावा नवीन मद के व्यय भी सम्मिलित है।

उपर्युक्तानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुमान का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

6–4	**डॉ राजन महान को किये गये लीव एनकेशमेंट भुगतान का अनुमोदन :–** कार्यालय आदेश क्रमांक 17945 दिनांक 02.12.2022 द्वारा प्रोफेसर राजन महान, पूर्व आचार्य को किये गये लीव एनकेशमेंट के भुगतान संबंधी आदेश का अनुमोदन।	विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य राजन महान को किये गये लीव एनकेशमेंट के भुगतान संबंधी आदेश का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6–5	**विश्वविद्यालय में तकनीकी तथा शैक्षणिक विषयों के शिक्षण के** लिए एड्जंक्ट फैकल्टी की सेवाएं – एड्जंक्ट प्रोफेसर– कार्यालय आदेश क्रमांक 18580 दिनांक 23.12.2022 द्वारा श्री संजय शर्मा, श्री त्रिभुवन शर्मा, डॉ. अखलाक अहमद उस्मानी, एवं डॉ. तबीना अंजुम को एड्जंक्ट फैकल्टी की भूमिका एवं दायित्व के संबंध में एक वर्ष विस्तारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव (आदेश) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय में तकनीकी तथा शैक्षणिक विषयों के शिक्षण के लिए एड्जंक्ट फैकल्टी की सेवाएं एवं दायित्व के संबंध में एक वर्ष विस्तारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। **इस बिन्दु के कार्यवृत में लिखे गये "प्रस्ताव" की जगह "आदेश" पढ़ा जाए।**
6–6	**विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पद पर सेवानिवृत कार्मिक के पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेशों का अनुमोदन–** 1. राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 18263 दिनांक 19.12.2022 द्वारा सहायक कुलसचिव के रिक्त पद के विरूध्द, श्री रवि मोहन शुक्ल, को लगाये जाने के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। 2. राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 18114 दिनांक 15.12.2022 द्वारा सहायक	विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पद पर सेवानिवृत कार्मिक के लगाये जाने संबंधी चारों आदेशों का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	कुलसचिव के रिक्त पद के विरूध्द, श्री राजेश तन्खा, को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। 3. राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 20294 दिनांक 16.03.2023 द्वारा कैशियर (कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त पद के विरूध्द, श्री हरिशंकर शर्मा, को 1 वर्ष अथवा कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नियुक्ति किये जाने के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। 4. राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 31 दिनांक 05.04.2023 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के विरूध्द, श्री प्रभुदयाल शर्मा, को 1 वर्ष अथवा कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नियुक्ति किये जाने के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
6–7	**विश्वविद्यालय में प्राप्त की गई सलाहकार एवं परामर्शी सेवाओं संबंधी प्रस्ताव :–** (1) **शैक्षणिक सलाहकार** – कार्यालय आदेश क्रमांक 233 दिनांक 18.04.2023 द्वारा डॉ. विवेक को शैक्षणिक सलाहकार के रूप में एक वर्ष हेतु लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव (आदेश) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (2) **परामर्श सेवाए** – कार्यालय आदेश क्रमांक 751 दिनांक 12.05.2023 द्वारा डॉ. दीपक भटनागर को परामर्शी सलाहकार के रूप में एक वर्ष हेतु लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव (आदेश) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय में प्राप्त की गई सलाहकार एवं परामर्शी सेवाओं से संबंधित आदेशों का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इस बिन्दु के कार्यवृत में लिखे गये "प्रस्ताव" की जगह "आदेश" पढ़ा जाए।

6–8	**विश्वविद्यालय में डीओपी के नियम/शर्तो के अनुसार कार्यरत सेवानिवृत कार्मिको के संशोधित समेकित परिश्रमिक संबंधी प्रस्तावः–** (1) **संशोधित समेकित परिश्रमिक**–कार्यालय आदेश कमांक 418 दिनांक 27.04.2023 द्वारा डी.ओ.पी. निर्देशित नियम/शर्तो के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत कार्मिकों के संशोधित समेकित पारिश्रमिक राशि संबंधी आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय में डीओपी के नियम/शर्तो के अनुसार कार्यरत सेवानिवृत कार्मिको के संशोधित समेकित परिश्रमिक संबंधित आदेशों का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6–9	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश आवेदन शुल्क एवं शुल्क संरचना संबंधी आदेशः–** (1) **आवेदन शुल्क एवं शुल्क संरचना** –हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के अधिनियम 2019 की धारा 5(1) व (2) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धारा 7(ञ) के अनुसरण में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश आवेदन शुल्क संरचना का निर्धारण संबंधी आदेश का अनुमोदनः–	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश आवेदन शुल्क एवं शुल्क संरचना संबंधी आदेश का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6–10	**विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह में किये गये खर्चो का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह दिनांक 02.03.2023 को आयोजित किया गया जिसके संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर निम्न खर्चे किये गये– (1) **सभागार आरक्षित करवाने हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 18934 दिनांक 16.01.2023 द्वारा भुगतान	विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह का आयोजन दिनांक 02.03.2023 को किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय संबंधी आदेशों का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	राशि रू 40,000 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (2) **पुलिस बैंड बुकिंग हेतुः**— विश्वविद्यालय के चैक संख्या 949618 एवं 949617 दिनांक 23.01.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 16,125 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (3) **मंच संचालन हेतुः**— भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 19489 दिनांक 10.02.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 15,000 भुगतान हेतु प्रस्तुत है। (4) **गोल्ड मेडल बनवाने हेतुः**— भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 38,500 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (5) **फ्लेक्स स्टैंडी, मफलर, लेपल पिन आदि उपलब्ध करवाने हेतुः**— भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 59,307 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (6) **फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी हेतुः**— भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 14,550 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (7) **अतिथियों हेतु मेमेन्टो हेतुः**— भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 7080 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (8) **पचरंगी एवं चुनडी साफा (बंधे बंधाये) हेतुः**— भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 21,200 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (9) **इन्टरनेट हेतुः**— भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 7,000	

	भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (10) **जनरेटर की व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 9,900 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (11) **टेन्ट व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 98,100 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (12) **राज्यपाल अभिभाषण, निमंत्रण पत्र एवं विद्यार्थी पास छपवाने हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 161 दिनांक 13.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 44,250 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (13) **अतिथियों के लिए भोजन व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 804 दिनांक 17.05.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 63,000 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (14) **अतिथियों के लिए अल्पाहार व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 804 दिनांक 17.05.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 5,000 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (15) **वी.वी.आई.पी. भोजन व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 804 दिनांक 17.05.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 52,385 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (16) **फूलों की सजावट की व्यवस्था हेतुः–** भुगतान (Under Process) है, राशि रू 19,200 का भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	

	(17) **अन्य विविध खर्चों हेतुः**– भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 97 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 32,111 एवं आदेश कमांक 102 दिनांक 10.04.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 6,154 भुगतान और आदेश कमांक 20547 दिनांक 29.03.2023 द्वारा भुगतान राशि रू 49,957 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। अतः विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह में कुल व्यय राशि रू **5,98,819** विश्वविद्यालय द्वारा निजी आय **खाता संख्या 38700993866** से भुगतान किया गया है। निजी आय से किया गया भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
6–11	**(A)–विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की विशेष बैठक (तृतीय बैठक) में पुरानी पेंशन योजना के संबंध में लिये गये संकल्प सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।:–** (1) राज्य सरकार कि वित्त विभाग से प्राप्त 02 आदेश कमांक प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 के कम में पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु दिशा निर्देश जो कि राज्य सरकार के शिक्षा ग्रुप –4 विभाग द्वारा प्रेषित है, को लागू किए जाने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। पुरानी पेंशन योजना में समाहित कम्यूटेशन के प्रावधानों पर विचार किया गया, जिय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कम्यूटेशन के प्रावधानों को फिलहाल लागू नहीं किये जाने का निर्णय किया गया तथा इस निर्णय की पुष्टि हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है। तथा इस निर्णय की पुष्टि हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।	

	(2) प्रस्ताव 1.2 के संबंध में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर पेंशन नियम बनाने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव 1.2 में सहवनवश अधिनियम शब्द अंकित हो गया है, जिसे सदस्यों के सुझाव अनुसार नियम लिखकर दर्ज किया जा रहा है। (3) प्रस्ताव 1.3 के संबंध में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम बनाने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। (4) प्रस्ताव 1.4 के संबंध में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कर्मचारीयों से प्राप्त राशि राज्य सरकार के पी.डी. खाते पेंशन निधि में एवं GPF SAB में जमा कराने के प्रस्ताव का विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया। (5) डॉ. अनिल कुमार मिश्र व डॉ. रतन सिंह शेखावत से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 09.06.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया है।	
	(B) वित्त (नियम अनुभाग) के आदेश दिनांक 25.08.2023 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (1) वित्त नियम अनुभाग के पूर्व में जारी आदेश निर्देशो की निरन्तरता में सेवानिवृत कार्मिक/मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित/सेवारत कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने के कम में जारी संशोधित दिशा निर्देश/विश्वविद्यालय के पत्रांक 1417 दिनांक 08.06. 2023 द्वारा पुरानी पेंशन योजना लगू करने एवं पेंशन निधि के गठन कर पी.डी. खाता खुलवाने के पत्रांक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–	वित्त नियम अनुभाग के पूर्व में जारी आदेश निर्देशो की निरन्तरता में सेवानिवृत कार्मिक/मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित/सेवारत कार्मिकों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने के कम में जारी संशोधित दिशा निर्देश एवं विश्वविद्यालय

		के पत्रांक 1417 दिनांक 08.06.2023 द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने एवं पेंशन निधि के गठन कर पी.डी. खाता खुलवाने के पत्रांक का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6—12	**RSRDC कार्यकारी ऐजेंसी को किया गया भुगतानः—** (1) भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 में कार्यालय आदेश क्रमांक 16466 दिनांक 07.09.2022 द्वारा हस्तांनान्तरित किये गये राशि रू 2122.64 लाख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (2) भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 में कार्यालय आदेश क्रमांक 20511 दिनांक 25.03.2023 द्वारा हस्तांनान्तरित किये गये राशि रू 4500.00 लाख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (3) भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 में कार्यालय आदेश क्रमांक 20562 दिनांक 31.03.2023 द्वारा हस्तांनान्तरित किये गये राशि रू 377.36 लाख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **अतः कार्यकारी ऐजेंसी RSRDC को वित्तीय वर्ष में कुल 70.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021—22 में 10.00 करोड़ कुल अब तक 80.00 करोड़ हस्तानांतरित किये गये है जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यकारी ऐजेंसी से प्राप्त हो चुके है। जो अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।**	विश्वविद्यालय द्वारा कार्यकारी एजेन्सी RSRDC को भवन निर्माण हेतु किये गये भुगतान संबंधी आदेशों / **उपयोगिता प्रमाण पत्र** का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

6–13	**स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अंकेक्षण फीस पेटे किये गये भुगतानः–** स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को आलौच्य वर्ष 2019–2022 की अंकेक्षण कार्य की फीस के पेटे कार्यालय आदेश कमांक 18531 दिनांक 20.12.2022 को राशि रू 2,40,000 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को आलौच्य वर्ष 2019–2022 की अंकेक्षण कार्य की फीस के पेटे किये गये भुगतान संबंधी आदेश को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6–14	**विश्वविद्यालय की अर्जित आय में से अधिशेष निधियाँ ब्याज सहित पी.डी. खाता संख्या 6769 में हस्तानान्तरित किये जाने बाबत के निर्णयार्थः–** स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के एफ.9(क)01/एल.ए/एच.ओ./अग्रिम/2019–20 में प्रदत्त दिशा निर्देश के कम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के परिपत्र प.12(3)वि.मा./2017 दिनांक 11.01.2018 एवं कमांक प.15(5)वि.मा./2012 दिनांक 02.07.2018 के अनुसार अधिशेष निधियां ब्याज सहित पी.डी. खातें में विनियोजन किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के छात्रों से प्राप्त फीस, संबंध शुल्क व अन्य गतिविधि से प्राप्त आय विश्वविद्यालय के बैंक खातें में प्राप्त हो रही है। उक्तानुसार अर्जित आय की अधिशेष निधियो को वित्त विभाग के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के ब्याज सहित पी.डी. खाता संख्या 6769 में विनियोजन किये जाने के कम में वित्त समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही जारी रखने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

6–15	(1)विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022–23 के सम–सैमेस्टर एवं 2023–24 के विषम व सम–सैमेस्टर परीक्षाओं एवं प्रवेशादि गोपनीय कार्य एवं वर्षपर्यंत वैबसाइट संधारण हेतु प्रोग्रामर इन एग्जाम एडं आईटी से विशेषज्ञ सेवाएँ प्राप्त करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 2119 दिनांक 07.07.2023 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022–23 के सम–सैमेस्टर एवं 2023–24 के विषम व सम–सैमेस्टर परीक्षाओं एवं प्रवेशादि गोपनीय कार्य एवं वर्षपर्यंत वैबसाइट संधारण हेतु प्रोग्रामर इन एग्जाम एडं आईटी से विशेषज्ञ सेवाएँ प्राप्त करने संबंधी आदेश का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	(2)हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार जयपुर में परीक्षा संबंधी मानदेय एवं पारिश्रमिक निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक 1459 दिनांक 16.01.2020 एवं 9195 दिनांक 10.08.2021 में परीक्षा 2023 के संबंध में संशोधन प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
	(अ) विश्वविद्यालय की बी.ए.– जेएमसी परीक्षा में लघुशोध प्रबंध के पठन तथा इसकी मौखिक परीक्षा के लिए मानदेय निर्धारित किया जाना	(अ) उक्त प्रस्ताव का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। चूकि पूर्व में भी इस प्रकार के आदेश राजभवन से निकलते रहे है अतः इसे प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन पश्चात, स्वीकृति / अनुमोदन हेतु राजभवन को भिजवाने का निर्णय समिति

	(ब) एमए–जेएमसी के लिए निर्धारित मानदेय सत्र 2023–24 से एमए पाठ्ययोजनाओं के लिए भी प्रभावी होगा (स) परीक्षा में केन्द्र अधीक्षक आदि परीक्षा कार्यो से जुडे कार्मिकों के मानदेय में अभिवृध्दि किया जाना व्याख्यात्मक टिप्पणीः– (i) विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी मानदेय/परिश्रमिक निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक 1549 दिनांक 16.01.2020 एवं क्रमांक 9195 दिनांक10.08.2021 में एमए–जेएमसी परीक्षा में Thesis/ Dissertation के मूल्याकन हेतु मानदेय निर्धारित है,किन्तु बीए–जेएमसी परीक्षा में Dissertation (लघु–शोध प्रबंध) के मूल्यांकन हेतु मानदेय निर्धारण नही किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्धारण राजभवन के पत्रांक 6462 दिनांक 21.08.2017 के आधार पर किया गया था, जिसमें ग्रेजुएशन स्तर पर लघु –शोध प्रबंध मूल्यानंकन के मानदेय का कोई उल्लेख नही था। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में भी ग्रेजुएशन स्तर पर ऐसा मानदेय तय नही है। विश्वविद्यालय में संचालित बीए–जेएमसी पाठ्योजना के छठे सैमेस्टर में लघु–शोध प्रबंध का प्रश्न पत्र है, जिसकी पहली बार परीक्षा जुलाई 2023 में सम्पन हुई। अतः बीए–जेएमसी परीक्षा में Dissertation के मूल्यांकन (उसके पठन एवं मौखिक परीक्षा) का	द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। (ब) इस प्रस्ताव का वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। (स) उक्त प्रस्ताव का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। चूकि पूर्व में भी इस प्रकार के आदेश राजभवन से निकलते रहे है अतः इसे प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन पश्चात,स्वीकृति अनुमोदन हेतु राजभवन को भिजवाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

मानदेय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाना है। राजभवन के निर्देश या अन्य विश्वविद्यालय के उधाहरण क`अभाव में, बीए–जेएमसी परीक्षा में उक्त मानदेय एमए–जेएमसी परीक्षा के 2:3 के यथासभव अनुपात में निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, क्योकि बीए– जेएमसी में प्रतिउत्तर पुस्तिाका मूल्यांकन का मानदेय रू 20/– है तथा एमए–जेएमसी में रू 30/– है:

		MA-JMC	BA-JMC (Proposed)
A	For reading the Thesis/Dissertation	Rs. 300/- (with a minimum of Rs. 900/- to each examiner)	Rs. 200/- (with a minimum of Rs. 600/- to each examiner)
B	For Conducting the Viva –voice test on the Thesis/Dissertation Project for the above Examination,per candidate	Rs. 25/- (with a minimum of Rs. 900/- to each examiner)	Rs. 15/- (with a minimum of Rs. 600/- to each examiner)

(ii) चूकि शत्र 2023–24 से एम.ए. के नाम से पाठ्ययोजनाएँ संचालित की जा रही है, एम–जेएमसी का उल्लेख जहॉ–जहॉ पर उक्त आदेशों में है, उसे एम.ए. के लिए भी प्रभावी माना जाना प्रस्तावित है।

(iii) मानदेय निर्धारण के उक्त आदेशों के परिशिष्ठ–'क' में केन्द्रअधिक्षक आदि परीक्षा कार्यो से जुड़े कार्मिको के मानदेय निर्धारित किये गये है इस संदर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांक 1199–1206, दिनांक 02.08.2023 द्वारा उपर्युक्त मानदेयों में अभिवृध्दि की है। चूकि यह विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरुप कार्य करता रहा है, उक्त दरो में अभिवृद्धि भी तदअनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

6–16	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अशैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारियों की दिनांक 01.07.2023 को वार्षिक वेतन वृध्दि स्वीकृत की गई। आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है–	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारीयों /अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृध्दि आदेश का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6–17	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर की साफ सफाई एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मशीन विद मैन की निविदा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृत की गई। आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है–	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं शैक्षणिक परिसर की साफ सफाई एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मशीन विद मैन की निविदा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु स्वीकृती आदेश का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6–18	<u>पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा):–</u> विश्वविद्यालय के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदो के प्रचलित पदनाम, वेतनमान, प्रोबेशन में दिये जाने वाले समेकित पारिश्रमिक आदि के संबंध में बनाई गई उच्चस्तरीय समिति की दो बैठकें दिनांक 20.07.2023 व 31.08.2023 के कार्यवृत विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ सदन द्वारा उक्त रिपोर्टो के अनुमोदन की स्थिति में इसे राज्य सरकार को भिजवाया जाना विचारार्थ एवं निर्णयार्थ :– स्वीकृत पदों से संबंधित कतिपय बिन्दुओं यथा प्रचलित पदनाम, वेतनमान, प्रोबेशन में दिये जाने वाले समेकित पारिश्रमिक, बुकलिफ्टर एवं प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर एवं स्टूडियों) के पदो के वेतनमान, नियत पारिश्रमिक, अर्हता/योग्यता, सेवानियम आदि के संबंध में स्पष्टता चाहने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था जिसके क्रम में	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से समिति के समक्ष टेबल एजेंडा रखा गया। समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया उक्त रिपोर्ट को निम्नलिखित सुझावों/संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया– (1) वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 26.07.2023 के बिन्दु संख्या 6 द्वारा सिरियल नम्बर 7 व 9 में Stenographer को Personal

	राज्य सरकार द्वारा उक्त बिन्दुओं पर बिन्दुवार टिप्पणी सहित स्पष्ट प्रस्ताव मांगे गए थे। इसके अनुसरण में कुलपति महोदया द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसकी दो बैठक दिनांक 20.07.2023 एवं 31.08.2023 को आयोजित की गई जिनके कार्यवृत विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	Assistance Grade-II तथा Personal Assistance को Personal Assistance Grade-I द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। समिति द्वारा तदनुसार संशोधन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया (2) वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना कमांक प2(2) वित्त /(नियम)/2021पार्ट–जयपुर दिनांक 27.05.2022 एवं वित्त विभाग(नियम) की अधिसूचना कमांकएफ9(2)एफडी/(रूल्स) /2018 जयपुर दिनांक 07.12.2021 के शेडयूल–III में वर्णित नियत पारिश्रमिक AL-13A (Rs 92,000/-) and AL-14 (Rs 1,01,000/-) को आधार बनाकर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर को दिये जाने वाले समेकित पारिश्रमिक प्रस्तावित करने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया इस रिपोर्ट को प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन पश्चात राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

सुधि राजीव

(प्रो.सुधि राजीव)
कुलपति महोदया एवं अध्यक्ष
एचजेयू ,जयपुर

(डॉ. सत्येन्द्र बसवाल)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव
एचजेयू , जयपुर